प्रेस विज्ञप्ति

06.04.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), शिमला सब-जोनल कार्यालय ने लखविंदर सिंह व उनके सहयोगियों और नीरज कांत, खनन अधिकारी, ऊना के विरुद्ध अवैध गतिविधि के माध्यम से प्राप्त अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया/गतिविधि में शामिल होने, जिसमें धोखाधड़ी और राज्य सरकार के खजाने को धोखेबाजी और गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने, धोखाधड़ी से हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में अवैध खनन के माध्यम से खुद को गलत लाभ प्राप्त करने के लिए माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश के समक्ष दिनांकः 12.03.2024 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने दिनांकः 05.04.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है।

ईडी ने हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में किए गए अनधिकृत खनन के मामले में आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत हिमाचल प्रदेश पुलिस, थाना ऊना सदर, ऊना (हि.प्र.) द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जाँच शुरू की।

ईडी की जाँच से पता चला कि लखविंदर सिंह ऊना जिले में मैसर्स लखविंदर सिंह के नाम और शैली में 3 क्रशर इकाइयां चला रहा था, मैसर्स लखविंदर सिंह ने जानबूझकर और बेईमानी से हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियम, 2015 के तहत भरे जाने वाले वैधानिक रिटर्न में वास्तविक उत्पादन को छुपाया।

ईडी ने अवैध खनन की सीमा निर्धारित करने के लिए ऊना (हिमाचल प्रदेश) में उन सभी क्षेत्रों की व्यापक जाँच की, जहाँ लखविंदर सिंह द्वारा खनन किया गया था। टीम की विशेषज्ञ रिपोर्ट में अत्यधिक और अवैध रेत खनन के मामलों पर प्रकाश डाला गया, जो राज्य सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज मात्रा से कहीं अधिक है। राज्य सरकार को वैधानिक बकाया के भुगतान के बिना अवैध खनन और सामग्री की अघोषित बिक्री से धोखा दिया गया और लगभग 79.87 करोड़ रुपये का दुरुपयोग किया गया। ईडी ने लखविंदर सिंह की चल और अचल संपत्ति को कुर्क करने के लिए अनंतिम कुर्की आदेश पारित किया है।

इससे पहले, ईडी ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में 13 स्थानों पर तलाशी ली थी, जिसके परिणामस्वरूप आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई थी। लखविंदर सिंह को दिनांकः26.09.2022 को पीएमएलए, 2002 के तहत गिरफ्तार किया गया था।